[2008] 3 एस. सी. ओर 409

मेसर्स गोयल एंटरप्राइजेज

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

(2008 की ओपराधिक अपील सं. 377)

25 फरवरी, 2008

(डॉ. अरिजीत पासायत और जे. एम. पांचाल, जे. जे.)

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973

धारा 378 (4) - दोषमुक्ति के विरूद्घ अपील करने की अनुमति - उच्च न्यायालय द्वारा, बिना कोई भी कारण दिए संक्षिप्ततः खारिज करने के लिए ओवेदन - अवधारित किया गया : उच्च न्यायालय को अपने ओदेश में इसके कारणों को निर्धारित करना चाहिए था,चाहे संक्षेप में , जो उसके मस्तिष्क के उपयोग को इंगित करता ; और भी अधिक जबकि उसका ओदेश भविष्य में चुनौती दिये जाने के लिए उत्तरदायी हो - कारणों के अभाव ने उच्च न्यायालय के ओदेश को अस्थिर कर दिया, जिसे निरस्त किया जाता है - अपील दायर करने के लिए अनुमति दी गई-उच्च न्यायालय अपील पर विचार करेगा और उत्तरदाताओं को औपचारिक

नोटिस के बाद सुनेगा और विधि अनुसार निस्तारित करेगा - उच्च न्यायालय का निर्णय/ओदेश-कारणों को देने की ओवश्यकता।

ओपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार- ओपराधिक अपील संख्या 377/2008

(झारखंड उच्च न्यायालय, रांची की क्रि.एम.पी.सं. 619/2006 में दिनांक 26/06/2006 के ओदेश से)

अपीलार्थी की ओर से बरुण कुमार सिन्हा, प्रतिभा सिन्हा और बी. के. सतीजा।

उत्तरदाताओं की ओर से पी. एस. मिश्रा, रवि सी. प्रकाश, तथागत एच. वर्धन, उपेंद्र मिश्रा, ध्रुव कुमार झा, मनु शंकर मिश्रा और अजीत कुमार सिन्हा।

न्यायाधिपति डॉ. अरिजीत पासायत, द्वारा न्यायालय का ओदेश दिया गया था।

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में झारखंड उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ द्वारा अपील की अनुमति देने से इंकार करने के पारित ओदेश को चुनौती दी गई।

3. अपीलार्थी का रुख यह है कि ओवेदन को संक्षिप्त रूप से खारिज करने वाले खंड पीठ के ओदेश को लागू नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहते हुए ओदेश का समर्थन किया कि यद्यपि ओदेश बिना कारण दर्शित किए किया गया है,फिर भी यह भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में' संविधान') के अनुच्छेद 136 के अधीन शक्ति के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है।

4. अनुमति प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (संक्षेप में 'दं०प्र०सं०') की धारा 378(4) के तहत ओवेदन किया गया था।

5. हस्तगत प्रकरण में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, जमशेदपुर के समक्ष धारा 138, प्रकाम्य लिखित अधिनियम 1881 (संक्षेप में 'अधिनियम') का अपराध कारित करना ओरोपित करते हुए प्रस्तुत परिवाद के ओधार पर कार्यवाही प्राम्भ की गई थी। अभियुक्त जो याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 2 है, दा ेषी पाया गया, और तदनुसार, दोषसिद्घ किया गया और छह महीने के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। उसे ओदेश पारित होने के एक माह के भीतर प्रतिकर के रूप में शिकायतकर्ता को चेक राशि 61,860/- रूपये और 62,860/- रूपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया। सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण के लिए याचिका प्रस्तुत की। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 2,

जमशेदपुर, द्वारा दिनांक 02.03.2006 के ओदेश से विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोषसिद्घी एवं कारावास के निर्णय को अपास्त कर दिया। इसके बाद, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 378(4) द०प्र०सं० की शर्तों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो कि उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा संक्षेप में खारिज कर दिया गया।

6. उच्च न्यायालय ने दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए इनकार करने का कोई कारण नहीं बताया है, और ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह से उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने के विरूद्घ अपील पर विचार किया गया है,वे इस तथ्य से पूरी तरह से अनभिज्ञ रहे हैं कि इस तरह के इनकार से, दोषमुक्त किए जाने के ओदेश की गहन जांच करने के अवसर को अपीलीय मंच द्वारा, एक बार और हमेशा के लिए खो दिया गया है। उनसे अपेक्षा है, ओदेश में स्पष्टतः कारण दर्शित करें। न्याय पर स्पष्ट रूप से विचार करते हुए, उच्च न्यायालय अपने ओदेश में चाहे कितने भी संक्षिप्त क्यों न हो, इसके कारणों को निर्धारित करें,जो उसके मस्तिष्क उपयोग को इंगित करें; और भी अधिक जबकि उनका ओदेश भविष्य में चुनौती दिये जाने के लिए उत्तरदायी हो। कारणों के अभाव ने उच्च न्यायालय के ओदेश को अस्थिर बना दिया है। यू. पी. राज्य बनाम बट्टन (2001) (10) एस.सी.सी. 607) में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था। लगभग दो दशक पहले महाराष्ट्र राज्य बनाम विट्ठल राव प्रीतिराव चव्हाण (1981 (4) एस.सी.सी.

129) में एक अनुमति देने के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के दौरान सकारण ओदेश की वांछनीयता पर प्रकाश डाला गया । ऐसे मामलों में अनिवार्य रूप से कारण दर्शित करने की ओवश्यकता को न्यायिकतः मान्यता प्रदान की जा चुकी है। इस विचार को जवाहर लाल सिंह बनाम नरेश सिंह (1987 (2) एससीसी 222) में दोहराया गया था। इस न्यायालय द्वारा की गई विधि की घोषणा का पालन करने के लिए न्यायिक अनुशासन को, संविधान के अनुच्छेद 141 से अनभिज्ञ किसी भी प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा किसी भी बहाने से त्याग नहीं किया जा सकता है, चाहे वह किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय भी हो।

7. कारण, प्रत्येक निष्कर्ष के हृदय की गति है, और इसके बिना यह निर्जीव हो जाता है। (किशोर झा बनाम बिहार राज्य 2003 (11) एससीसी 519) देखें)

8. यहां तक कि प्रशासनिक ओदेशों के संबंध में भी लॉर्ड डेनिंग ने, एम.ओर.इन ब्रीन बनाम अमालगामेटेड इंग संघ (1971) 1 ए.ओई.ओई. ई. ओर. 1148 , में अवधारित किया; "कारण बताना अच्छे प्रशासन की मूल बातों में से एक है।" अलेक्जेंडर मशीनरी (डूडले) लि. बनाम क्रेबट्री 1974 ओई.सी.ओर. 120 (एन.ओई.ओर.सी.) में अवधारित किया गया; "कारणों को देने में असफल रहना न्याय से इंकार करने के समान है।" कारण, प्रश्नगत विवाद का निर्णय लेने वाले के मस्तिष्क तथा जिस निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचते है, उनके मध्य की जीवंत कडी है। "कारण

व्यक्तिपरकता को वस्तुनिष्ठता से प्रतिस्थापित करते हैं।" कारणों को दर्ज करने पर जोर यह है कि यदि निर्णय "स्फिंक्स के अस्पष्ट चेहरे" को उजागर करता है, तो यह अपनी चुप्पी/ खामोशी से अदालतों के लिये अपने अपीलीय कार्य करना या वैधता तय करने में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करना लगभग असंभव बन सकता है। फैसले के तर्क / कारण का अधिकार सुदृढ न्यायिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है ; कारण, कम से कम, न्यायालय के समक्ष मामलें पर मस्तिष्क लगाने का संकेत देने के लिए पर्याप्त है। दूसरा तर्क यह है कि प्रभावित पक्ष को पता चल सकता है कि फैसला उनके खिलाफ/विरूद्घ गया है। प्राकृतिक न्याय की हितकारी ओवश्यकताओं में से एक, दिये गये ओदेश के कारणों को स्पष्ट करना है; दूसरे शब्दों में बोलकर बताना "स्फिंक्स का अस्पष्ट चैहरा" ओमतौर पर न्यायिक/अर्द्घ न्यायिक प्रदर्शन के साथ असंगत है।

9. इस न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य बनाम भाग सिंह (2004 (1) एस. सी. सी. 547) में उपरोक्त स्थिति पर प्रकाश डाला गया था।

10. उपरोक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय अमान्य है,और इसे अपास्त किया जाता है। हम राज्य को अपील दायर करने की अनुमति देते हैं। उच्च न्यायालय अपील पर विचार करेगा और औपचारिक नोटिस के बाद अपील सुनेगा और वर्तमान अपील में किए गए किसी भी अवलोकन से प्रभावित हुए बिना

विधि अनुसार उसे निस्तारित करेगा। अपील को इंगित सीमा तक अनुमति दी जाती है।

ओर. पी.

अपील अनुमति की गई।

यह अनुवाद ओर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिकि अधिकारी डा० मनीष हरजाई, ओर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और ओधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।